दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.05/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.01.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (दीपक अग्रवाल पुत्र महेश अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– कालन्द्री रोड़, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अग्रवाल केटल फिडस्, कालन्द्री रोड़, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या– 2 (श्री जागनाथ ट्रेडिंग, जी.आई.डी.सी., डीसा–38535) अनुस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी दीपक अग्रवाल के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02.1.2022 को फर्म अग्रवाल केटल फिड्स, कालन्द्री रोड़, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी दीपक अग्रवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) का नमूना संख्या S-1569 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./18/Act/2022/14 दिनांक 07.1.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी दीपक अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये। तत्पश्चात् अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने प्रतिवादी दीपक अग्रवाल की ओर से इस प्रकरण में पैरवी के संबंध में कोई निर्देश नही होना जाहिर किया। प्रकरण में प्रतिवादी दीपक अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित द्वारा पैरवी के कोई निर्देश नही होना जाहिर करने के बाद प्रतिवादी दीपक अग्रवाल की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही प्रतिवादी दीपक अग्रवाल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः प्रकरण में प्रतिवादी दीपक अग्रवाल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज उक्त जांच रिपोर्ट में अंकितनानुसार रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) की निर्माता फर्म श्री जागनाथ ट्रेडिंग, जी.आइ.डी.सी., डीसा को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2023 को इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत पक्षकार (प्रतिवादी संख्या–2) बनाया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का [illegible] करने व धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य [illegible] जारी किया गया, लेकिन प्र[illegible] 2 (श्री जागनाथ ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.05/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	ट्रेडिंग, जी.आई.डी.सी., डीसा) को नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी श्री जागनाथ ट्रेडिंग की ओर से कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नही हुआ व न ही जवाब पेश हुआ। अतः प्रतिवादी श्री जागनाथ ट्रेडिंग के विरुद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि को खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। अतः प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 02.1.2022 को फर्म अग्रवाल केटल फिड्स, कालन्द्री सिरोही रोड़ रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी दीपक अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– कालन्द्री रोड़, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो फर्म अग्रवाल केटल फिड्स, कालन्द्री रोड़, रामपुरा, तह. व जिला– सिरोही में आम जन को रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) का विक्रय करता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अग्रवाल केटल फिडस् की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) के 3 पैक्ड टीन कंटेनर (प्रत्येक 15 लीटर) में मिलावट का शक होने से तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इन रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) के टीन कंटेनरों में से 1600 ग्राम रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर खरीदशुदा रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) को चार साफ, सूखी व खाली शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर इन चारों शीशीयों को ढ्क्कन से एयरटाईट बन्द किया एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को विधि अनुसार सील चपडी कर अपने कब्जे में लिया व मौका फर्द तैयार की। पत्रावली पर उपलब्ध फार्म नंब. 5ए, खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) के क्रय की रसीद/बिल व मौका फर्द आदि दस्तावेज उपलब्ध है, जिन पर विक्रेता दीपक अग्रवाल, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत क्रय करने की कार्यवाही विधि अनुसार की गई है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:18 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.05/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

के नमूना संख्या S-1569 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./18/Act/2022/14 दिनांक 07.1.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी दीपक अग्रवाल ने रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है, ऐसी स्थिति में, खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) के क्रय के बिल के अभाव में निर्माता श्री जागनाथ ट्रेडिंग, जी.आई.डी.सी., डीसा दोषी प्रतीत नही होती है। चूंकि प्रतिवादी दीपक अग्रवाल ने मिथ्याछाप व अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरुद्ध प्रतिवादी दीपक अग्रवाल स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/ 08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (sub-standard) रिफाईन्ड कॉटन शीड ऑयल (cotton Plus Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी दीपक अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल, निवासी– कालन्द्री रोड़, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अग्रवाल केटल फिडस्, कालन्द्री रोड़, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी दीपक अग्रवाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 01.3..2024 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:18 IST
Reason: SelfAttested

(भास्कर बिश्नोई)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.